निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्याः–108 / 2020 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांकः– 08 / 10 / 2020
निर्णय दिनांकः– 24 / 02 / 2025

अनवान

1. रूकमणी पत्नि मांगु जाति गुर्जर निवासी कुंआथल तहसील देवगढ जिला जिला राजसमन्द (राज0)।

———प्रार्थी

बनाम

1. प्रभुलाल पिता वीरम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
2. जेती पिता वीरम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
3. पारसी पुत्री विरम पत्नि देवा आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द। हाल निवासी गुणीया तहसील आमेट जिला राजसमन्द।
4. बाबूलाल पिता वीरम आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
5. भगु पुत्री वीरम पत्नि आसू आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द। हाल निवासी लाम्बोडी तहसील चारभुजा (गढबोर)
6. राजू पिता वीरम आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

7. मीठालाल पिता रामा आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
8. गोरधन पिता मूला आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
9. भवरलाल पिता मूला आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

➢ मृतक आसू जी के वारिसान–

10. शायरी बेवा आसू जी आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
11. लादू पिता आसू जी आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
12. भंवरी पुत्री आसू जीपत्नि भोलु आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाला खेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
13. चान्दी पुत्री आसू जी पत्नि जसू आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम साकडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द।
14. हीरा पुत्री आसू जी पत्नि डालू जीआयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम डालाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
15. बदामी पुत्री आसू जी पत्नि जेतापिता आसू जी पत्नि जसूआयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम जीरण तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
16. गीता पुत्री आसू जी पत्नि सूखा आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीरोडी तहसील आमेट जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थिया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीया की

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

स्वामित्व एंव अधिपत्य की भूमि राजस्व ग्राम कुंआथल में आराजी नम्बर 1131 क्षेत्रफल 0.03 हैक्टयर किस्म आ0 चाह।आराजी नम्बर 1132 क्षेत्रफल 0.02 हैक्टयर किस्म आ0चाह, आराजी नम्बर 1133 क्षेत्रफल 1.25 हैक्टयर किस्म चाही, उक्त भूमि ग्राम कुंआथल पटवार हल्का कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित है। प्रार्थीया को अपने घर से अपनी कलम सख्या 1 में वर्णित भूमि पर कृषि कार्य हेतु आने जाने में विपक्षी संख्या 1 से 18 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1161 क्षेत्रफल 0.0700 हैक्टर में किस्म चाही प्रथम ,आराजी नम्बर 1170 क्षेत्रफल 0.24 हैक्टर किस्त चाही आराजी नम्बर 1163 क्षेत्रत्रफल 0.1200 हैक्टर किस्म चाही उतम। प्रार्थीया अपने खेतो पर आने जाने के लिये कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात मेसे 20 फिट चौडा रास्ता हेतु टेक्ट्रर ट्रोली वगैरहा लेकर आना जाना होता रहता है जिससे प्रार्थीया इसमें स्थायी रास्ता चाहती है। एवं इन आराजीयात के अलावा सीघा और कोई रास्ता नहीं है। आराजी नम्बर 1161 के खातेदार विपक्षी संख्या 1 से 6 है। तथा आराजी नम्बर 1170 के विपक्षी संख्या 7 खातेदार है व आराजी नम्बर 1163 खातेदार विपक्षी संख्या 8 व 9 है। आराजी नम्बर 1162 के खातेदार विपक्षी संख्या 10 से 18 है। प्रार्थीया को उपरोक्त खेतो के किनारे किनारे होकर आने व जाने के लिये 20 फिट चौडा रास्ता की आवश्यकता रहती है तथा इसके लिये नियमानुसार डी.एल सी रेट से शुल्क जमा करवाने को तैयार है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी नम्बरो में से रास्ता दिलवाने का आदेश प्रदान करवाने की कृपा करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी को जरिये समन्न तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 16 बावजूद सूचना तामिल के

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गए। तहसीलदार देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए मांगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थिया अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थिया ने निवेदन किया कि प्रार्थिया को अपनी भूमि पर जाने हेतु एवं भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु ट्रैक्टर, ट्रोली व अन्य मशीनरी ले जाने के लिए लिए रास्ते की नितान्त आवश्यकता है एवं प्रार्थिया को अपनी भूमि पर आने जाने के लिए इस भूमि के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है एवं 20 फीट रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट की ताईद की।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए में प्रतिपादित है किः– [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251–ए का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया अपनी सहखातेदारी आराजी संख्या 1131, 1132, 1133 में जाने हेतु अप्रार्थीगणों के खसरा संख्या 1161 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1162 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1163 रकबा 0.12 हैक्टेयर में से होकर रास्ता जाता है एवं नक्शे में क्रमशः 28 मीटर, 48 मीटर, 50 मीटर लम्बाई एवं 6 मीटर चौडा भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्न प्रकार हैः– ग्राम कुआंथल, पटवार हल्का कुआंथल तहसील देवगढ़

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

रूकमणी बनाम प्रभूलाल व अन्य
प्रकरण संख्याः– 108/2020(प्रा0पत्र)
निर्णय दिनांकः–24/02/2025

क्र. स.	खसरा सं. जिसमें रास्ता प्रस्तावित है।	रास्ते हेतु लम्बाई X चौडाई	रास्ते हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (है0 में)
1.	1161	28 X 6 मी	168 मी^{2}	0.0168 है.
2.	1162	48 X6 मी	288 मी^{2}	0.0288 है.
3.	1163	50 X 6 मी	300 मी^{2}	0.0300 है.

तहसीलदार देवगढ़ द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार रास्ता प्रदान करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थिया से उक्त रकबे की वर्तमान प्रचलित पंजीयन दर अनुसार दो गुना राशि राजकोष में जमा करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे। तत्पश्चात रिकॉर्ड में नियमानुसार रास्ता दर्ज किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द